

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्र. :- 06/2014)

(संस्थित दिनांक :- 06/01/14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. विमल कुमार पुत्र किशन प्रसाद जोशी उम्र 32 वर्ष।

निवासी : ग्राम कठकोरी, थाना-सिरसागंज, जिला-फिरोजाबाद, उ.प्र।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 11/07/2017 को घोषित)

01. आरोपी विमल कुमार पर धारा :- 279, 337 एवं 338 "02 काउण्ट" भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 20/11/2013 को दोपहर लगभग 12:30 बजे पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहा लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्फर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी लीलाधर की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/बी.बी./1104 में टक्कर मारकर फरियादी लीलाधर को उपहति एवं लक्ष्मी एवं प्रशान्त को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 20/11/2013 को दोपहर लगभग 12:30 बजे पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहा लोकमार्ग पर, वाहन डम्फर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी लीलाधर की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/बी.बी./1104 में टक्कर मारकर उसे, उसकी पत्नी लक्ष्मी एवं भाई प्रशान्त को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की देहाती नालसी फरियादी लीलाधर द्वारा सीएचसी गोहद में लेखबद्ध कराये जाने पर वाहन डम्फर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 के चालक के विरुद्ध देहाती नालसी लेखबद्ध कर जीरो पर कायमी की गई। उक्त देहाती नालसी के आधार पर वाहन डम्फर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 के चालक के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक 270/13 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहतगण लक्ष्मी एवं प्रशान्त के एक्स-रे रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का

इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी विमल कुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा पेश करने पर वाहन डम्पर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 मय दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ सहित जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी बबलू यादव का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी लीलाधर, आहतगण लक्ष्मी एवं प्रशान्त के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त विमल कुमार के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 "02 काउण्ट" भा.द. सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी विमल कुमार ने दिनांक : 20/11/2013 को दोपहर लगभग 12:30 बजे पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहा लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी लीलाधर की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 30/बी.बी./1104 में टक्कर मारकर फरियादी लीलाधर को उपहति एवं लक्ष्मी एवं प्रशान्त को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी लीलाधर अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना 20 नवम्बर 2013 की दोपहर के लगभग साढ़े बारह बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उस दिन वह अपनी पत्नी लक्ष्मी शर्मा और भाई प्रशान्त को मोटर साईकिल पर बैठाकर पेपर दिलाने के लिए भिण्ड ले जा रहा था। जब वह गोहद चौराहा स्थित पटेल होटल मार्केट पर पहुँचा तब ग्वालियर की तरफ से आ रहे डम्पर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 के चालक ने उसकी मोटर साईकिल में पीछे से टक्कर मार दी, उक्त ट्रक तेजी से चलता हुआ आ रहा था। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से वह तीनों लोग नीचे गिरकर घायल हो गए और उसे बाये पैर में घुटने के नीचे चोट आई थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी के भी बाये पैर में चोट आई थी, उसका पैर टूट गया था एवं प्रशान्त की भी बाये पैर की हड्डी टूट गई थी। साक्षी आगे कहता है कि डम्पर चालक को उसने देख लिया था, उसका नाम उसे बाद में चालूम चल गया था, उसका नाम विमल कुमार था। वह आरोपी को शक्ल से पहचानता है। उसके बाद घटनास्थल पर थाना गोहद चौराहा का एक दीवान आ गया था, जो उसे गोहद चिकित्सालय ले गया था। उसके बाद ईलाज के पश्चात् अस्पताल गोहद में ही उसकी रिपोर्ट पुलिस वालों ने लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी को देखकर व्यक्त किया कि यही व्यक्ति घटना दिनांक को उक्त डम्पर को चला रहा था।

09. मुख्य परीक्षण में फरियादी लीलाधर अ.सा.01 द्वारा यह दर्शित किया गया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर चालक को देख लिया था और उसका नाम विमल कुमार उसे बाद में मालूम चल गया था और वह आरोपी को शक्ल से पहचानता है। उल्लेखनीय है कि आहत लीलाधर द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.01 में कहीं पर भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि फरियादी लीलाधर द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर चालक को देख लिया गया था और वह उसे शक्ल से पहचानता है। देहाती नालसी प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर चालक के कद, काठी, हुलिये या रंग-रूप का भी कोई उल्लेख नहीं है। फरियादी लीलाधर अ.सा. 01 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसे दुर्घटना के पश्चात्वर्तीय प्रक्रम पर दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी विमल का नाम कब और किस प्रकार ज्ञात हुआ। उल्लेखनीय यह भी है कि फरियादी लीलाधर अ.सा.01 के कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. में भी दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी विमल के नाम अथवा दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रंग-रूप, कद-काठी एवं हुलिया का कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रकरण के विवेचक राघवेन्द्र सिंह अ.सा.09 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया गया कि उसके द्वारा आरोपी विमल को गिरफ्तार किये जाने के उपरांत फरियादी या आहत/साक्षीगण से उसकी कोई पहचान कार्यवाही कराई गई थी, इसलिए मात्र फरियादी लीलाधर अ.सा.01 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आरोपी विमल को दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में पहचानना एक कमजोर किस्म की पहचान कार्यवाही है, जो कि सम्पूर्ण

अभियोजन साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में फरियादी लीलाधर अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह उत्तर दिशा की ओर अर्थात् भिण्ड जा रहा था और दुर्घटनाकारित करने वाला डम्पर भी भिण्ड जा रहा था। वह दुर्घटना के समय मोटर साईकिल चलाते वक्त सामने देख रहा था, पीछे नहीं देख रहा था और उसने उक्त डम्पर को तेजी से आते हुये नहीं देखा था, बल्कि टक्कर लगने पर उसे यह महसूस हुआ था कि डम्पर तेजी से चल रहा था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि फरियादी लीलाधर द्वारा दुर्घटनाकारित होते समय दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन किस प्रकार उपेक्षा या उतावलेपन से चल रहा था, यह नहीं देखा था। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी विमल की पहचान के संबंध में एवं दुर्घटना के समय कथित रूप से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चल रहे होने के संबंध में फरियादी लीलाधर अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

11. आहत/साक्षी प्रशान्त अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक 20 नवम्बर 2013 के दोपहर की 12:30 बजे की है। उस दिन वह अपने भाई लीलाधर एवं भाभी लक्ष्मी के साथ अपने ग्राम खनेता से भिण्ड जा रहे थे। जब वह लोग चौराहे से पहले पटेल मार्केट पर आये तब पीछे ग्वालियर की तरफ से एक ट्रक तेजी एवं लापरवाही से आया और उसने उनकी मोटर साईकिल में टक्कर मार दी। साक्षी आगे कहता है कि टक्कर लगने से उसके दाहिने पैर में एवं हाथ में चोट आई थी। उसके भाई लीलाधर को बाये पैर में चोट आई थी एवं भाभी को भी बाये पैर में चोट आई थी। साक्षी आगे कहता है कि जिस ट्रक के चालक ने टक्कर मारी थी, उस ट्रक का नम्बर यूपी.75/1794 था। ट्रक के चालक को वह नहीं देख पाया था, उसके भाई लीलाधर ने देख लिया था। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में प्रशान्त अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के चालक को देख नहीं पाया था। मुख्य परीक्षण में भी उसके द्वारा यह दर्शित किया गया है कि वह दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को देख नहीं पाया था। इस प्रकार प्रशान्त अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी विमल की पहचान संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है।

12. अभियोजन साक्षी लक्ष्मी शर्मा अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 20/11/2013 की दोपहर लगभग 12:30 – 01:00 बजे की गोहद चौराहा पर लोकमार्ग की है। उस समय वह ग्राम खनेता से भिण्ड पेपर देने मोटर साईकिल से अपने पति लीलाधर शर्मा एवं देवर प्रशान्त के साथ जा रही थी। तभी गोहद चौराहा पहुँचने पर ग्वालियर की तरफ से एक ट्रक तेजी एवं लापरवाही से

चलता हुआ आया और उसने पीछे से उनको टक्कर मार दी, जिससे वह तीनों गिर पड़े थे और उनको चोटें आई थी। साक्षी आगे कहती है कि टक्कर लगने से वह बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके पति उसे ईलाज हेतु गोहद चिकित्सालय ले गये थे, जहाँ पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी लक्ष्मी अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रक का क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 होना बताया था। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.12 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकती। साक्षी लक्ष्मी अ.सा.08 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिए ट्रक का नम्बर नहीं बता रही है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में भी आहत लक्ष्मी अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर एवं चालक को नहीं देखा था। इस प्रकार आहत लक्ष्मी अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी विमल की पहचान संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है।

13. अभियोजन साक्षी बबलू यादव अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि ट्रक क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 के मालिक मोहम्मद ईशाक खान है, उनके द्वारा उक्त ट्रक का मुख्त्यारआमनामा उसके नाम किया गया था, उक्त ट्रक मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश चलता है। उक्त ट्रक चालक का नाम उसे नहीं मालूम, क्योंकि उसके ट्रक पर कई चालक चलते हैं। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.11 का दस्तावेज दिखाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। स्वतः कहा कि पुलिस ने कोरे कागज पर करा लिये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी बबलू यादव अ.सा.07 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 20/11/2013 को उसका ट्रक ड्रायवर विमल कुमार चला रहा था एवं उक्त ट्रक को विमल कुमार ने उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर फरियादी लीलाधर की मोटर साईकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे फरियादी, उसकी पत्नी लक्ष्मी एवं प्रशान्त को चोट आई थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि पुलिस ने उसका ट्रक कागज ना होने के कारण थाने पर खड़ा कर लिया था, जिसे उसके द्वारा न्यायालय में सुपुर्दगी पर लिया गया था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आरोपी को बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी बबलू यादव अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके ट्रक पर दो-तीन चालक चलते हैं। साक्षी कहता है कि वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक : 20/11/2013 को उसके ट्रक को उन दो-तीन चालकों में से कौन चालक चला रहा था, क्योंकि घटना पुरानी हो चुकी है। साक्षी बबलू यादव अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे कुछ कोरे कागजों के हस्ताक्षर कराये थे, लेकिन उसे

आज दिनांक तक इस बात की जानकारी नहीं है कि उन कागजों पर पुलिस के द्वारा क्या लेख किया गया था। इस प्रकार बबलू यादव अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी विमल कुमार की पहचान को दर्शित अथवा स्थापित करते हो।

14. अभियोजन साक्षी गोप सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 20/11/2013 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 270/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की एफआईआर डम्फर क्रमांक यू.पी. 75/एम/1784 के चालक के विरुद्ध देहाती नालसी क्रमांक 0/13 पर फरियादी लीलाधर शर्मा द्वारा लेख कराये जाने पर उसके द्वारा लेख की गई थी, एफआईआर प्र. पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.10 फरियादी लीलाधर अ.सा.01 द्वारा लेखबद्ध नहीं कराई गई थी, बल्कि रिपोर्ट प्र.पी.10 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त रिपोर्ट देहाती नालसी प्र. पी.01 के आधार पर लेखबद्ध की गई थी। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.10 पर कहीं भी फरियादी लीलाधर के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किये जाने के संबंध में लेखक गोप सिंह अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.10 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

15. अभियोजन साक्षी राघवेन्द्र सिंह अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 20/11/2013 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी लीलाधर शर्मा द्वारा सीएचसी गोहद में रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर, डम्फर क्रमांक यू.पी. 75/एम/1794 के चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से वाहन चलाकर उसे, उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई एवं उसके भाई प्रशान्त को उपहति कारित करने की देहाती नालसी प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उक्त देहाती नालसी पर से थाना गोहद चौराहा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 270/2013 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसी दिनांक को फरियादी लीलाधर की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.013 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी लीलाधर, आहत लक्ष्मी एवं प्रशान्त के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 21/11/2013 को वाहन मालिक बबलू का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया था, जो प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी विमल कुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.14 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी से डम्फर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 मय प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ सहित जब्त

कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.15 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया था। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। विवेचक राघवेन्द्र सिंह अ.सा. 09 ने औपचारिक रूप से उसके द्वारा अपराध क्रमांक 270/13 की विवेचना किये जाने का तथ्य बताया है, जिसमें दर्शित तथ्य चक्षुदर्शियों साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से समर्थित ना होने के कारण अभियोजन को उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

16. डॉ.राजू वैश्य अ.सा.03, डॉ.सत्यप्रकाश बसंल अ.सा.04 एवं डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.05 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहतगण को कारित चोटों के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी चिकित्सीय अभिमत संबंधी साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी विमल कुमार ने दिनांक :- 20/11/2013 को दोपहर लगभग 12:30 बजे पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहा लोकमार्ग पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक यू.पी. 75/एम/1794 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी लीलाधर की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/बी.बी./1104 में टक्कर मारकर फरियादी लीलाधर को उपहति एवं लक्ष्मी एवं प्रशान्त को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी विमल कुमार के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी विमल कुमार को धारा 279, 337 एवं 338 "02 काउण्ट" भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

20. प्रकरण में जब्तशुदा डम्पर क्रमांक यू.पी.75/एम/1794 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी बबलू यादव के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद